कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद

विज्ञापन सं0-----/ डी.एल.एस.ए./गा0बाद दिनांक 01.08.2025

विज्ञप्ति/सूचना

मध्यस्थता केन्द्र, गाजियाबाद हेतू 26 मध्यस्थों की नियुक्ति हेतू

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यस्थता एंव सुलह केन्द, गाजियाबाद हेतु मध्यस्थगणो का पैनल तैयार किया जाना है। मध्यस्थों की नियुक्ति/विस्तार/ नवीनीकरण उत्तर प्रदेश शासनए न्याय अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-10/2021/195/सात-न्याय-2/2021-31जी/2008 के द्वारा निर्गत की गयी उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली- 2021 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। मध्यस्थ पैनल करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित योग्ताए एंव अर्हताएं रखने वाले इच्छुक व्यक्तियो के आवेदन आमन्त्रिंत किये जायेंगे।

1-ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय मे कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।
2-सेवानिवृत्त,जिला एंव सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश।
3-ऐसे वृतिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रो मे कम से कम 15 वर्षो का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो।

मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अनर्हताएं-

1-ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित्त घोषित किया गया हो।
2-ऐसे की व्यक्ति, जिसके विरुध्द किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।
3-ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिध्द ठहराया गया हो।
4-ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुध्द अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो या फलस्वरुप दण्डित किया गया हो।
5-ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हे उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाये।

मध्यस्थों के रुप में कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्ति विज्ञप्ति की दिनांक से अंतिम तिथि दिनांक 04.08.2025 सायं 5.00 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित प्रारुप पर स्पष्ट शब्दों में भर कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद में प्रस्तुत कर सकते है। आवेदको का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां जाति प्रमाणपत्र अनुभव प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे तथा ऐसे आवेदक जो अधिवक्ता है उनके द्वारा अधिवक्ता पंजीयन प्रमाण पत्र तथा बार एसोसिएशन द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, इसके साथ ही इच्छुक आवेदकों को मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए उपर्युक्त वर्णित की गयी अनर्हताएं से संबंधित शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक को इस आषय का एक उपक्रम (undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा। निर्धारित आवेदन प्रारुप जनपद न्यायालय की आधिकारिक तेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद से भी प्राप्त किये जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए भी इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी सम्पर्क कर सकते है। आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना पृथक से प्रदान नहीं की जायेगी। साक्षात्कार की तिथि एवं समय जनपद न्यायालय गाजियाबाद की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड कर दी जायेगी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी। आवेदक समय-समय पर जनपद न्यायालय गाजियाबाद की आधिकारिक वेबसाईट का अवलोकन करते रहे या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजियाबाद

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति/सूचना को जनपद न्यायालय गाजियाबाद की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करे।

2. श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति/सूचना को जनपद न्यायालय गाजियाबाद की नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करे।

3. श्रीमान जिलाधिकारी गाजियाबाद को उक्त विज्ञप्ति/सूचना की प्रति आवश्यक निःशुल्क प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु प्रेषित।

4. श्रीमान अध्यक्ष बार एसोसिएशन गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति/सूचना को बार एसोसिएशन गाजियाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।

5. प्रशासनिक कार्यालय जनपद गाजियाबाद को सूचना पट पर उक्त विज्ञप्ति/सूचना को सूचना पट पर चस्पा कराये जाने हेतु।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजियाबाद

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
जिला गाजियाबाद

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन पत्र)

स्वप्रमाणित फोटो

1. नाम –.....
2. पिता का नाम –.....
3. पता
 (क) कार्यालय –.....

 (ख) निवास –.....

4. दूरभाष संख्या
 (क) कार्यालय –.....
 (ख) निवास –.....
5. मोबाईल संख्या –
 (क) कार्यालय –.....
 (ख) निवास –.....
6. ईमेल आईडी –.....
7. शैक्षणिक अर्हताएं –.....
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव –.....
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो तो–.....
10. मध्यस्थता मे विशेष अर्हता या अनुभव यदि को हो तो–.....
11. बार काउंसिल नामाकंन संख्या और दिनांक –.....
 (केवल अधिवक्ताओ के लिए लागू)
12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है –.....
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है –.....
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित्त घोषित किया गया है–
15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हो या फलस्वरूप दण्डित किया गया है –
16. क्या आपको उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया है –

मै.....एतद द्वारा निवेदन करता/करती हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उ0प्र0 सिविल प्रकिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा/करूंगी। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक –
स्थान –

पूर्ण हस्ताक्षर

अण्डर टेकिंग

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

अण्डर टेंकिग देता हूँ/दूती हूँ कि यदि मैं मध्यस्थ के रूप में चयनित होता हूँ तो भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करने को तैयार हूँ।

दिनांकः–

स्थानः–

आवेदक के हस्ताक्षर